

निजी खातेदार मैसर्स डिलाईट इन्फ्राहाइट्स एल.एल.पी की अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा अनुमोदित योजना "डिलाईट पार्क" में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी.के शेष 07 भूखण्डों की लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं नियम व शर्तों की आवेदनपुस्तिका

आवेदन की तिथि	:	18.12.2025
आवेदन की अन्तिम तिथि	:	01.01.2026
लॉटरी की तिथि	:	10.01.2026

आवेदन करने से संबंधित विस्तृत जानकारी, डिलाईट इन्फ्राहाइट्स एल.एल.पी की वेब साइट <http://delightpark.arustupvt.com> पर उपलब्ध है अथवा मोबाइल नम्बर 8302822961 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

निजी खातेदार डिलाईट इन्फ्राहाइट्स एल.एल.पी की "डिलाईट पार्क" ग्राम गगवाना तहसील एवं जिला अजमेर, में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना में ई.

डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के शेष 07 भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा तथा आवंटन दर प्रति वर्गमीटर नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 के अनुसार रहेगी। सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्गमीटर एवं पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये) निम्नानुसार है :-

योजना व ग्राम का नाम	जाने संख्या	रेरा नम्बर	आरक्षित दर रु. प्रति वर्गमीटर	45 वर्गमीटर तक के शेष भूखण्डों की संख्या	45-75 वर्गमीटर तक के शेष भूखण्डों की संख्या
डिलाईट पार्क ग्राम गगवाना तहसील एवं जिला अजमेर,	उत्तर	RAI/P/2024/3270 (rera.rajasthan.gov.in)	6900	02	05
(प) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये में)				EWS-A 3,00,000/-	LIG-B 3,00,001/- Is
(प) आवंटन दर प्रति वर्गमीटर				आरक्षित दर का 50 प्रतिशत दर पर	6,00,000/- आरक्षित दर का 80 प्रतिशत दर पर
(प) पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)				10,000/-	20,000/-

नोट :- योजना में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक की जा सकती है, जिसकी सूची ना डिलाईट इन्फ्राहाइट्स एल.एल.पी की वेब साइट <https://delightpark.arustupvt.com> पर प्रदर्शित की जावेगी।

नियम एवं शर्तें

प्रस्तावित ईड ब्ल्यूएस/एलआईजी भूखण्डों की नीलामी जो कि कम्पनी के विकासशील/पूर्ण परियोजना "डिलाईट पार्क" में स्थित है तथा उक्त योजना डिलाईट इन्फ्राहाइट्स एल.एल.पी द्वारा पूर्णतः विकसित की जा चुकी है।

नीलामी के नियम तथा शर्तें निम्न फ़ार से हैं जो कि प्रस्तावित नीलामी के सभी आवेदक नक़्ताओं पर समान रूप से बाध्यकारी है एवं लागू होंगी:—

1. सामान्य शर्तें:—

- 1.1 योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क रु. 1000/— निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ डिमाण्ड ड्राफ़्ट जमा कराना होगा। डिमाण्ड ड्राफ़्ट केवल आवेदक के स्वयं के खाते से ही स्वीकृत किया जायेगा।
- 1.2 आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग सीमा एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर एक ही योजना में आवेदन किया जा सकेगा। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से अलग-अलग आवेदन करने पर, सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 1.3 योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखण्डों गुप के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन होने पर आवंटि के लिए बाध्य होगी/होगा।
- 1.4 पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ़्ट के माध्यम से किया जा सकता है।
- 1.5 राज्य सरकार एवं अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/नियम योजना के भूखण्ड आवंटन पर भी लागू होंगे।
- 1.6 सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का भौतिक कब्ज़ा दिया जाना संभव नहीं हो पाये तो विकासकर्ता द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड के पेटे जमा राशि लौटा दी जावेगी।
- 1.7 आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है। आवेदन फार्म में अंकित मोबाईल नम्बर पर OTP Verification के उपरान्त ही भरा हुआ आवेदन फार्म डाउनलोड किया जा सकेगा।
- 1.8 आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो एवं बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 1.9 संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है लेकिन संयुक्त नाम के खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।
- 1.10 असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफ़ण्ड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्ज/बिना ब्याज Online के माध्यम से किया जायेगा।
- 1.11 आवेदन पत्र में भूखण्ड के लिए वार्षिक आय वर्ष **F Y 2024–25** के आधार पर एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा।
- 1.12 तकनीकी कारणों से वृत्तपद आवेदन असफल होने की स्थिति में पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से आवेदन सफल हो जाता है, तो प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुये द्वितीय एवं तृतीय बढ़ते हुए क्रम में सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- 1.13 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर, नाम एवं आय गुप/वरीयता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा। अन्य प्रकार के संशोधन एवं आवेदन पत्र निरस्त हेतु लिखित आवेदन लॉटरी तिथि से तीन दिवस पूर्व विकासकर्ता के कार्यालय **पंचवटी, जयपुर रोड नियर लाडपुरा पुलिया, ग्राम घुघरा, तहसील एवं जिला अजमेर** पर जाकर संशोधन की कार्यवाही की जावेगी। आवेदन पत्र निरस्त करवाने की स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
- 1.14 लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित सम्पूर्ण राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में बैंक ड्राफ़्ट/ऑनलाईन द्वारा डिलाईट इन्फ्राहाइट्स एल.एल.पी के नाम से अजमेर शहर स्थित किसी भी बैंक शाखा से संबंधित योजना के खाते में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।
- 1.15 भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद ही विकासकर्ता द्वारा अलोटमेंट लेटर निष्पादित किया जावेगा।

- 1.16 भूखण्ड का कब्जा विकासकर्ता द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित विकासकर्ता इंजिनियर से संभालना होगा।
- 1.17 आवंटन में शहरी भूमि निस्तारण नियम-1974 के प्रावधान एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे।
- 1.18 "आवंटित भूखण्ड केवल "आवासीय" उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखण्ड का विभाजन/पुनर्गठन प्रचलित "भवन विनियम" के प्रावधानानुसार मान्य होगा।
- 1.19 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार अजमेर ही होगा।
- 1.20 आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से, विकासकर्ता इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी रूप में कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

2. आवेदन करने की प्रक्रिया:-

- 2.1 भूखण्डों के लिए आवेदन विकासकर्ता की वेबसाइट <https://delightpark.arustupvt.com> के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 2.2 आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम व बैंक शाखा का IFSC Code को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।
- 2.3 ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन फार्म के साथ प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि के भुगतान के लिए डिलाईट इन्फ्राहाइट्स एल.एल.पी के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ हमारे कार्यालय अजमेर पर नियत तिथि तक जमा करवाने होंगे।

3. आवेदन की पात्रता:-

- 3.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
- 3.3 आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए।
- 3.4 आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम व बैंक शाखा का IFSC Code होना अनिवार्य है।
- 3.5 आवेदक का स्वयं एवं उसकी/उसके पति/पत्नी अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- 3.6 अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो।
- 3.7

4. आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग:-

- 4.1 आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक/परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी।
- 4.2 ऐसे आवेदक, जो आयकर विवरणिका भरते हैं, उन्हें आई.टी.आर./फार्म 16 की प्रति तथा पेन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

5. भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण:-

5.1 आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप किसी एक निर्धारित आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है:-

केन्द्र सरकार के कर्मचारी/राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति		अनु.जाति		विकलांग		अधीस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)			अनारक्षित श्रेणी	ट्रांसजेंडर
10%	6%		9%		5%		2%	10%			56%	02%
	10: निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनुजनजाति महिलाएं	सामान्य अनुजन-जाति	10: निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल अनु.जाति महिलाएं	सामान्य अनु. जाति	10: निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं	सामान्य		शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)		

राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय अधिकरण के नियमित रूप से चयनित कर्मचारी, जो कि वर्तमान में परिवीक्षा पर हैं, वे भी इस हेतु पात्र होंगे।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.17(10)नवि/द्वितीय/2019 अजमेर दिनांक 16.09.2019 के अनुसार आवंटन के समय आरक्षित भूखण्डों के संबंध में निम्न प्रावधान है:-

- निम्न आय वर्ग (LIG) के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 600000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों तथा केन्द्रीय विभाग के कर्मचारियों के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 1200000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त 10 वर्ष तक की अवधि में विधवा महिला जिनके पति के मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय रुपये 6,00,000/- से ज्यादा नहीं होगी।
- सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी सम्मिलित है तथा BSP/CISF/CRPF के सैनिक जिनकी सकल वार्षिक आय रु. 1200000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- राजकीय सेवा में सेवारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 1200000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- अधिस्वीकृत पत्रकार के आवेदक की सकल वार्षिक आय रु. 1200000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- Disability Act, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49/2016) के तहत निःशक्तजन/दिव्यांगों के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रु. 1200000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय रु. 600000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5.2 किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर, उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के, उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

5.3 राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.4 राजस्थान की अनु. जाति/अनु. जनजाति के आवेदकों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.5 विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5.6 अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5.7 सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायु सेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ. अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है।

5.8 आवेदक, जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है, उस परिवार से मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।

5.9 सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।

5.10 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./अविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

- 5.11 अन्य सैनिक (कार्यरत/सेवानिवृत्त) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 5.12 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 5.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं), के लिए आरक्षित भूखण्डों का आवंटन निम्न प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा:-
- उन सैनिकों को विधवायं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)
 - विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)
 - अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)
 - इनके लिए संबंधित श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया:-

- 6.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को विकासकर्ता की वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। लॉटरी में सफल हुए आवेदक को लॉटरी की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे तथा कार्यालय से मांगपत्र प्राप्त करना होगा। यदि आवेदक निर्धारित अवधि (15 दिन) में दस्तावेज जमा नहीं करवाता है एवं मांगपत्र प्राप्त नहीं करता है, तो उसे आवंटित किया गया प्लॉट स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए)
 - पहचान हेतु फोटोयुक्त वोटर आई.डी./आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/भामाशाह कार्ड आदि में से कोई भी मान्य होंगे।
 - सकल मासिक आय प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
 - आरक्षित भूखण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी श्रेणी/वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
 - आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा तथा कार्ड आने पर उसका नम्बर कार्यालय में अपडेट करना होगा।
- 6.2 संबंधित विकासकर्ता कर्मचारी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे।
- 6.3 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन-मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में केवल बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS द्वारा डिपॉजिट इन्फ्राहाइट्स एल.एल.पी के नाम से बैंक में एकमुश्त जमा करानी होगी।
- 6.4 मांगपत्र जारी होने के 30 दिवस भीतर निर्धारित राशि जमा ना होने पर आपका आवंटन स्वतः ही कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 6.5 आवेदन फॉर्म में भरी गई आपकी निजी जानकारी जैसे- पता, ई-मेल आईडी, और मोबाइल नंबर आदि यदि गलत पाई जाती है तो आपके द्वारा भरा गया आवेदन फॉर्म स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। एवं आपकी जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

7. आवेदन फार्म वापस लेने की विधि:-

- 7.1 विकासकर्ता के पास जमा आवेदन वापिस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड
- (प) लॉटरी तिथि से पूर्व एवं पश्चात् तथा आवंटन सह मांग-पत्र जारी होने के बाद रिफण्ड चाहने पर जमा पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रिफण्ड की जावेगी।
- 7.2 एक परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जावेगा शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि की राशि लौटा दी जावेगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जावेगी।

- 8.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बचत खाता संख्या, अंकित बैंक एवं IFSC Code में ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावेगी।
- 8.2 असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 1 माह तक कम्पनी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत आई. एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर, कम्पनी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

9. आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त किये जाने के कारण:-

- 9.1 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच विकासकर्ता स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 9.2 एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 9.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- 9.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।
- 9.5 आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।
- 9.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
- 9.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

10. अन्य महत्वपूर्ण शर्त:-

- 10.1 आवंटि को लीज डीड पंजीयन का व्यय स्वयं को वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।
- 10.2 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार अजमेर होगा।
- 10.3 आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।
- 10.4 आवंटन के संबंध में भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम, आदेश/निर्देश लागू होंगे।

11. महत्वपूर्ण शर्त:-

- 11.1 यह लॉटरी अजमेर विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार दुबारा आयोजित की जा रही है, इसके पश्चात् अगर कम्पनी के पास प्लॉट बच जाते हैं तो कम्पनी द्वारा पुनः लॉटरी आयोजित नहीं की जायेगी एवं कम्पनी बचे हुए प्लॉटों को पात्रता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से योग्य व्यक्ति को आवंटित कर देना का अधिकार रखेगी।

12. सकल आय की पात्रता का आधार

भूखण्डों की कीमत आवेदक की प्रमाणित सकल आय (Gross Income) पर निर्भर है। आवेदकों के आय वर्ग निर्धारण हेतु आय की संगणना दिनांक 31/03/2025 को कुल वार्षिक आय के आधार पर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

(क) स्वयं के लिये

1. वेतन, विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि से सकल आय।
2. गृह/सम्पत्ति/व्यापार/व्यवसाय/पेशे, कृषि आदि से सकल आय।
3. विनियोग से ब्याज द्वारा अर्जित आय।
4. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में सम्मिलित करने योग्य हो।

(ख) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के संबंध में पति/पत्नि की आय (सकल आय में पति, पत्नि व आश्रित की आय सम्मिलित होगी)

(ग) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के संबंध में आश्रितों की आय (सकल आय में पति, पत्नि व आश्रित की आय सम्मिलित होगी)

(घ) आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति/पत्नि एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक/परिवार की सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर जाएगी।

(ड) ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं, उन्हें आई.टी.आर./फॉर्म-16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

निर्धारित प्रपत्र में ही आय उद्घोषणा पत्र अपलोड किया जावे। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

नोट:-

1. आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
2. एक आवेदक किसी एक ही वर्ग (आय के अनुसार) के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आय वर्ग में आवेदन करने पर दोनों ही आवंटन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे तथा पंजीयन राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. आवेदन में आय वर्ग के कॉलम को भरते समय ध्यान रखें कि आपकी वार्षिक आय से भिन्न वर्ग में आवेदन करने पर/टिक करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा और गलत सूचना/मिथ्या वर्णन मानते हुये पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी। अतः आय के अनुसार निर्धारित के भूखण्ड के लिए ही आवेदन करें।

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री आयु

निवासी शपथ पूर्व

घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी भी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगें में पेश कर दूंगा/कर दूंगी।
- (3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनुजाति/अनुजनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस संबंध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री शपथ पूर्वक

घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित

आय प्रमाण-पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
..... जाति निवासी
तहसील जिला राज्य की स्वयं पत्नि/पति
एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रु0 प्रतिवर्ष है एवं मेरा पैन नम्बर है।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ,
कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय
दण्ड संहिता (IPC) अनुसू 17 संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण-पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
..... इस कम्पनी/फर्म में पद पर कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय
रु0 प्रतिवर्ष है।

कम्पनी/फर्म प्रमाणिकर्ता
के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

आय प्रमाण -पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
..... इस विभाग में पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार
अथवा राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल वार्षिक आय रु0 प्रतिवर्ष है।

दिनांक :

स्थान :

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी जिला सम्भाग राज्य जाति के सदस्य हैं जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

**सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)**

प्रमाणित किया जाता है कि (रैंक)
(नाम) (नम्बर)

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी मासिक आय रुपये प्रतिमाह है।
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी वार्षिक आय रुपये प्रतिवर्ष थी।
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रु० प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान:
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री आयु निवासी
..... शपथपूर्वक

घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एकमात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व० पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/ ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ
कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय
दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री आयु
निवासी

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
- (2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
- (4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ,
कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय
दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
..... निवासी
की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग है।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
..... निवासी
तहसील जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है।

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :

(उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति)